कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 211/2026 **प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़** दिनांक- 03.06.2026

थाना – रौनापार, जनपद- आजमगढ़
नाबालिग अपहरण का आरोपी मिशन शक्ति अभियान के तहत गिरफ्तार
बहला-फुसलाकर भगाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 10.05.2026 को वादी मुकदमा द्वारा थाना रौनापार पर तहरीर दिया गया कि वादी की पुत्री को भोला यादव उर्फ बृजेश यादव पुत्र स्व0 देवमन यादव निवासी रोशनगंज थाना रौनापार जनपद आजमगढ बहला-फूसलाकर भगा ले गया है जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 111/2026 धारा 137(2)/87 बी.एन.एस पंजीकृत किया गया।

➡ दौरान विवेचना मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित पीड़िता/अपहृता को दिनांक 30.05.2026 को बरामद किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डा0 अनिल कुमार द्वारा महिलाओ से सम्बन्धित अपराधों में अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 03.06.2026 को उ0नि0 रमेश कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त भोला यादव उर्फ गिरिजेश यादव पुत्र स्व0 देवमन यादव ग्राम रोशनगंज थाना रौनापार जनपद आजमगढ को ग्राम करखिया मोड़ से समय करीब 05.25 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 111/26 धारा धारा 137(2)/87/64(2)(ड़) बीएनएस व (J)(2)/6 पाक्सो एक्ट थाना रौनापार आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त- भोला यादव उर्फ गिरिजेश यादव पुत्र स्व0 देवमन यादव ग्राम रोशनगंज थाना रौनापार जनपद आजमगढ उम्र 25 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 रमेश कुमार, का0 जावेद, रि0का0 सुमित सिंह थाना रौनापार आजमगढ़।

थाना पवई, जनपद आजमगढ़
साइबर टीम पवई की तत्परता से यूपीआई फ्रॉड के ₹44,000 पीड़ित के खाते में वापस कराए गए

जनपद आजमगढ़ पुलिस द्वारा साइबर अपराधों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना पवई की साइबर टीम को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। साइबर टीम की त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई के फलस्वरूप यूपीआई फ्रॉड के शिकार व्यक्ति को उसकी सम्पूर्ण धनराशि वापस दिलाई गई।

घटना का विवरण-

आवेदक धीरज गुप्ता पुत्र रामचेत गुप्ता निवासी ग्राम पवई, थाना पवई, जनपद आजमगढ़ के यूनियन बैंक खाते से यूपीआई के माध्यम से ₹44,000 की धनराशि साइबर ठगी का शिकार हो गई थी। घटना की जानकारी होने पर आवेदक द्वारा तत्काल राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नम्बर 1930 पर शिकायत दर्ज कराई गई, जिसकी शिकायत संख्या 33103260068226 है।

पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई-

प्राप्त शिकायत पर प्रभारी निरीक्षक पवई श्री राकेश कुमार सिंह के निर्देशन में साइबर टीम द्वारा तत्काल जांच प्रारम्भ की गई। जांच के दौरान फ्रॉड की गई धनराशि का विवरण प्राप्त कर संबंधित बैंक खाते को फ्रीज कराने की कार्रवाई की गई।

तत्पश्चात साइबर टीम द्वारा आवश्यक तकनीकी एवं वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करते हुए न्यायालय के आदेश के माध्यम से फ्रॉड की गई ₹44,000 की सम्पूर्ण धनराशि दिनांक 03.06.2026 को आवेदक के खाते में वापस कराई गई।

धनराशि वापस मिलने पर आवेदक द्वारा आजमगढ़ पुलिस एवं साइबर टीम के प्रति आभार व्यक्त किया गया।

साइबर सुरक्षा हेतु अपील-

आजमगढ़ पुलिस आमजन से अपील करती है कि किसी भी अनजान लिंक, कॉल, मैसेज अथवा यूपीआई रिक्वेस्ट पर बिना सत्यापन के विश्वास न करें। अपने बैंक खाते, ओटीपी, यूपीआई पिन एवं अन्य गोपनीय जानकारियां किसी के साथ साझा न करें। किसी भी प्रकार की साइबर ठगी होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नम्बर 1930 अथवा www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं, जिससे समय रहते आवश्यक कार्रवाई कर धनराशि वापस कराई जा सके।

साइबर टीम पवई-

- श्री राकेश Kumar सिंह, प्रभारी निरीक्षक पवई
- उ0नि0 विशाल चक्रवर्ती
- का0 अंकित कुमार

थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़

मुबारकपुर पुलिस की सटीक कार्रवाई, अवैध असलहा व कारतूस के साथ हथियार तस्कर गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के अभियान को सफलता, अवैध शस्त्र तस्कर चढ़ा पुलिस के हत्थे, अवैध असलहा-कारतूस बरामद

अवैध शस्त्र रखने व उसकी तस्करी करने वाले अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ अनिल कुमार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 02.06.2026 को चौकी प्रभारी कस्बा मुबारकपुर उ0नि0 धर्मेन्द्र शर्मा मय हमराह को सूचना मिली कि अवैध असलहा व कारतूस की तस्करी करने वाला 01 व्यक्ति मोटरसाइकिल लेकर बावन बीघा मैदान, शहीदनगर इस्लामपुरा मे मौजूद है जिसके पास भारी मात्रा मे अवैध तंमचा-कारतूस है । इस सूचना पर पुलिस बल द्वारा अभियुक्त मो0 अन्जर पुत्र इफ्तिखार अहमद शेख निवासी ईशापुर थाना फूलपुर जिला आजमगढ उम्र करीब 23 वर्ष को 01 अवैध देशी तमंचा 315 बोर 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर, 04 जिन्दा कारतूस 32 बोर, 100 रुपये नगद व 01 मोटरसाइकिल के साथ समय करीब 23:20 बजे गिरफ्तार किया गया तथा गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 210/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

बरामदगी- 01 अवैध देशी तमंचा 315 बोर 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर, 04 जिन्दा कारतूस 32 बोर, 100 रुपये नगद व 01 मोटरसाइकिल

गिरफ्तार अभियुक्त- मो0 अन्जर पुत्र इफ्तिखार अहमद शेख निवासी ईशापुर थाना फूलपुर जिला आजमगढ उम्र करीब 23 वर्ष ।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 210/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मुबारकपुर, आजमगढ़ ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 धर्मेन्द्र शर्मा (चौकी प्रभारी कस्बा मुबारकपुर), का0 मुकुन्द लाल मिश्र, का0 पवन कुमार सिंह, का0 रामाकान्त कुमार, का0 मुसाहिद रजा, का0 छोटेलाल गौड़, का0 शैलेन्द्र कुमार, थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।
दहेज लोभियों पर मुबारकपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, विवाहिता को प्रताड़ित कर आग लगाने वाले पति व सास गिरफ्तार
मिशन शक्ति के तहत कार्रवाई: दहेज उत्पीड़न, जबरन गर्भपात व आग लगाकर हत्या के प्रयास के आरोपी पति-सास गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 02.06.2026 को वादिनी मुकदमा द्वारा तहरीर दिया गया था कि वादिनी की शादी दिनांक 05 मई 2025 को मुस्लिम रीति-रिवाज से फरमान अहमद पुत्र अब्दुल गनी निवासी कटरा के साथ संपन्न हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही फरमान अहमद व सास जायदा खातून दहेज में 3,00,000 रुपये नकद व 01 बुलेट मोटरसाइकिल की मांग को लेकर उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे तथा उसके गहने-जेवर व उपहार छीनकर उसे घर से निकाल दिया। सामाजिक बीच-बचाव के बाद जब वह पुनः ससुराल गई और गर्भवती हुई, तो पति व सास ने मिलकर उसका जबरन गर्भपात करवा दिया। इसके पश्चात माह फरवरी 2026 में पुनः दहेज की मांग को लेकर विवाहिता को बुरी तरह मार-पीटकर जान से मारने की नियत से आग लगा दी गई वादिनी द्वारा स्वस्थ होने के बाद तहरीर दी गयी जिसके सम्बन्ध में थाना मुबारपुर पर मु0अ0सं0- 209/2026 धारा 109(1), 115(2), 89, 85 बी0एन0एस0 व 3/4 डी0पी0 एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।
गिरफ्तारी का विवरण- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डा0 अनिल कुमार द्वारा महिलाओ से सम्बन्धित अपराधों में अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 02.06.2026 को उ0नि0 धर्मेन्द्र शर्मा मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्तों 1- मुहम्मद फरमान, व 2- जाहेदा खातून को रोडवेज स्टैंड से समय करीब 09:30 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।
गिरफ्तार अभियुक्त-

1- मुहम्मद फरमान पुत्र अब्दुल गनी, निवासी- कटरा, कस्बा व थाना- मुबारकपुर, जनपद- आजमगढ़ (उम्र करीब 27 वर्ष)

2- जाहेदा खातून पत्नी अब्दुल गनी, निवासी- कटरा, कस्बा व थाना- मुबारकपुर, जनपद- आजमगढ़ (उम्र करीब 76 वर्ष)

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 209/2026 धारा- 109(1), 115(2), 89, 85 बी0एन0एस0 एवं 3/4 डी0पी0 एक्ट (दहेज प्रतिषेध अधिनियम) थाना मुबारकपुर, जनपद- आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 धर्मेन्द्र शर्मा (चौकी प्रभारी कस्बा मुबारकपुर), का0 मुकुन्द लाल मिश्र, का0 शैलेन्द्र कुमार यादव, म0का0 पूजा गुप्ता, म0का0 शिवानी शुक्ला थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़
हत्या प्रकरण से जुड़े गैंग पर पुलिस का शिकंजा, गैंगस्टर एक्ट के 03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार
महराजगंज पुलिस की प्रभावी कार्रवाई, संगठित आपराधिक गिरोह के सक्रिय सदस्यों को भेजा गया जेल

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार (IPS) के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना महराजगंज पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। हत्या जैसे जघन्य अपराध में संलिप्त गिरोह के विरुद्ध की गई प्रभावी कार्रवाई के तहत गैंगस्टर एक्ट में वांछित 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा गया।

पूर्व की घटना का विवरण-

दिनांक 26.10.2025 को थाना महराजगंज पर त्रिभुवन पाण्डेय की हत्या के संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों, गवाहों के बयान एवं अन्य प्रमाणों के आधार पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि जमीनी विवाद को लेकर मृतक की हत्या रामभवन पाण्डेय, आदित्य पाण्डेय, दीनदयाल पाण्डेय एवं अमरनाथ यादव द्वारा की गई थी। पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त होने पर अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।

जांच के दौरान यह भी पाया गया कि अभियुक्तों का एक संगठित आपराधिक गिरोह है, जो आर्थिक एवं भौतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से गंभीर अपराधों को अंजाम देता है। इनके कृत्यों से क्षेत्र में भय एवं आतंक का वातावरण व्याप्त था। इसी आधार पर गैंग चार्ट तैयार कर अनुमोदन प्राप्त किया गया तथा दिनांक 02.06.2026 को थाना महराजगंज पर मु0अ0सं0 122/2026 धारा 2(ख)(i)/3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 03.06.2026 को प्रभारी निरीक्षक अनुराग कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 अवधेश कुमार यादव मय पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्राम आराजी जजमनजोत में दबिश देकर गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्तों को उनके घर से समय करीब 04:50 बजे गिरफ्तार किया गया। नियमानुसार तलाशी के दौरान कोई अवैध वस्तु बरामद नहीं हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अमरनाथ यादव पुत्र स्व0 राजेन्द्र यादव निवासी आराजी जजमनजोत थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़।
2. रामभवन पाण्डेय पुत्र स्व0 बजरंगी पाण्डेय निवासी आराजी जजमनजोत थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़।
3. आदित्य पाण्डेय पुत्र रामभवन पाण्डेय निवासी आराजी जजमनजोत थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 122/2026 धारा 2(ख)(i)/3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

- प्रभारी निरीक्षक अनुराग कुमार थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़
- उ0नि0 अवधेश कुमार यादव थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़
- का0 अजीत कुमार सिंह थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़
- का0 अनिल कुमार थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़
- रि0का0 कुशल कुमार थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़

थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़

सरायमीर पुलिस ने मानवता की मिसाल पेश की, बिछड़ी 03 वर्षीय बच्ची को सकुशल मां से मिलाया

पुलिस की तत्परता से परिवार में लौटी मुस्कान, बाजार में भटकी मासूम बच्ची को सुरक्षित परिजनों को सौंपा गया

जनपद आजमगढ़ पुलिस द्वारा जनसुरक्षा एवं जनसेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को निरंतर सार्थक करते हुए थाना सरायमीर पुलिस ने तत्परता एवं संवेदनशीलता का परिचय देते हुए एक बिछड़ी हुई 03 वर्षीय मासूम बच्ची को सकुशल उसकी मां से मिलाकर मानवता की मिसाल पेश की।

आज दिनांक 03.06.2026 को आरक्षी संजीव कुमार यादव थाना सरायमीर क्षेत्र के महाजनी टोला कस्बा सरायमीर में भ्रमणशील थे, तभी उन्हें लगभग 03 वर्ष की एक बच्ची रोते हुए एवं लावारिस अवस्था में मिली। आरक्षी द्वारा तत्काल आसपास के लोगों से बच्ची के परिजनों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया, किन्तु कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी।

इसके उपरांत आरक्षी संजीव कुमार यादव बच्ची को सुरक्षा की दृष्टि से थाना सरायमीर लेकर आए। थाना पुलिस द्वारा तत्परता से प्रयास करते हुए बच्ची के परिजनों का पता लगाया गया। जांच के दौरान बच्ची की मां सना बनो पत्नी अबू मोहम्मद निवासी मदगुदिया, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़ की पहचान की गई।

पूछताछ में सना बनो ने बताया कि वह अपनी लगभग 03 वर्षीय पुत्री मो0 कराज के साथ बाजार में खरीदारी करने आई थीं। इसी दौरान बच्ची अचानक उनका हाथ छुड़ाकर भीड़ में कहीं चली गई, जिससे वह उससे बिछड़ गई थीं।

थाना सरायमीर पुलिस द्वारा बच्ची को सकुशल उसकी मां के सुपुर्द किया गया। अपनी पुत्री को सुरक्षित पाकर बच्ची की मां ने आजमगढ़ पुलिस एवं थाना सरायमीर पुलिस का आभार व्यक्त करते हुए पुलिस की तत्परता एवं मानवीय कार्यशैली की सराहना की।

सहयोगी पुलिसकर्मी-

- आरक्षी संजीव कुमार यादव, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़
- महिला आरक्षी रोशनी तिवारी, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़

थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़
32 लाख रुपये की जमीन धोखाधड़ी का आरोपी गिरफ्तार, निजामाबाद पुलिस की कार्रवाई

फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीन रजिस्ट्री के नाम पर ठगी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना निजामाबाद पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। जमीन रजिस्ट्री कराने के नाम पर 32 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा गया।

पूर्व की घटना का विवरण-

दिनांक 26.03.2025 को वादी शादाब आलम पुत्र सुहेल अहमद निवासी फरिहा थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर देकर अवगत कराया गया कि उसके रिश्तेदार साजिद पुत्र इश्तियाक अहमद ने उसे लखनऊ में जमीन दिलाने के नाम पर एहशान अहमद एवं साजिद हसन से मिलवाया। आरोप है कि अभियुक्तों ने लगभग डेढ़ वर्ष के दौरान नकद, आरटीजीएस एवं एनईएफटी के माध्यम से कुल 32 लाख रुपये प्राप्त कर लिए।

जब वादी ने जमीन की रजिस्ट्री कराने की बात कही तो अभियुक्तों ने एक फर्जी जमीन मालिक को प्रस्तुत कर कूटरचित आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं अन्य दस्तावेज तैयार कर उसके साथ धोखाधड़ी की। घटना की जानकारी होने पर वादी द्वारा धनराशि वापस मांगने पर अभियुक्तों ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी तथा एक अभियुक्त द्वारा फर्जी हस्ताक्षर कर 06 लाख रुपये का चेक भी दिया गया।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना निजामाबाद पर मु0अ0सं0-107/2025 धारा 419, 420, 467, 468, 471, 406, 504, 506 भा0द0वि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई।

गिरफ्तारी का विवरण-

विवेचना एवं साक्ष्य संकलन के क्रम में आज दिनांक 03.06.2026 को उ0नि0 चित्रांशु मिश्रा मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त **एहशान अहमद पुत्र इम्तियाज निवासी चकिया हुसैनाबाद थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़** को चकिया मोड़ से समय करीब 09:00 बजे गिरफ्तार किया गया। आवश्यक विधिक कार्रवाई पूर्ण कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. एहशान अहमद पुत्र इम्तियाज, निवासी- चकिया हुसैनाबाद, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़, उम्र- 44 वर्ष

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0-107/2025 धारा 419/420/467/468/471/406/504/506 भा0द0वि0 थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़।
2. मु0नं0-12197/2019 धारा 138 एनआई एक्ट थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़।
3. मु0नं0-10530/2019 धारा 138 एनआई एक्ट थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

- उ0नि0 चित्रांशु मिश्रा,थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़
- का0 रवि मौर्य,थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़
- रि0का0 कन्हैया गुप्ता,थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़

➡ **जनपद आजमगढ़ पुलिस आमजन से अपील करती है कि किसी भी भूमि क्रय-विक्रय से पूर्व संबंधित अभिलेखों एवं स्वामित्व की विधिवत जांच अवश्य कर लें तथा किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी की सूचना तत्काल पुलिस को दें।**

थाना साइबर क्राइम, जनपद आजमगढ़

कॉलेज ऑफ एडवांस स्टडीज में साइबर, महिला सुरक्षा एवं यातायात जागरूकता कार्यशाला आयोजित

डिजिटल अरेस्ट, सेक्सटॉर्शन और ऑनलाइन ठगी से बचाव के लिए छात्र-छात्राओं को किया गया जागरूक

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ **डॉ0 अनिल कुमार** के कुशल निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात **श्री पंकज कुमार श्रीवास्तव** के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी सदर **श्रीमती आस्था जायसवाल** के नेतृत्व में आज दिनांक 03.06.2026 को **कॉलेज ऑफ एडवांस स्टडीज, बोलइसा, आजमगढ़** में विशेष जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, यातायात पुलिस, अग्निशमन विभाग तथा थाना साइबर क्राइम आजमगढ़ द्वारा संयुक्त रूप से अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों, महिला सशक्तिकरण, अग्नि सुरक्षा एवं साइबर सुरक्षा के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

साइबर अपराधों के प्रति किया गया जागरूक

थाना साइबर क्राइम की टीम द्वारा वर्तमान समय में बढ़ रहे साइबर अपराधों जैसे डिजिटल अरेस्ट, फर्जी पुलिस/सीबीआई/साइबर अधिकारी बनकर धन की मांग, फर्जी लिंक एवं मोबाइल एप डाउनलोड कराकर ठगी, गिफ्ट एवं लॉटरी स्कैम, सोशल मीडिया के माध्यम से धोखाधड़ी, म्यूल अकाउंट, फर्जी मोबाइल नंबर तथा अन्य ऑनलाइन अपराधों के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।

छात्र-छात्राओं को बताया गया कि साइबर अपराधी विभिन्न माध्यमों से लोगों को भ्रमित कर आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए किसी भी अनजान व्यक्ति, लिंक अथवा एप्लीकेशन पर बिना सत्यापन के भरोसा न करें।

प्रमुख विषय जिन पर जानकारी दी गई

- बैंकिंग फ्रॉड एवं क्यूआर कोड स्कैन कर ठगी
- व्हाट्सएप हैकिंग, OLX एवं KYC आधारित साइबर अपराध

• फर्जी एप्लीकेशन एवं ऑनलाइन लोन स्कैम
• हनी ट्रैपिंग एवं सोशल मीडिया फ्रॉड
• एटीएम एवं इंटरनेट मीडिया से संबंधित धोखाधड़ी
• निवेश एवं गेमिंग एप के माध्यम से साइबर ठगी
• सेक्सटॉर्शन एवं न्यूड वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग
• मैट्रिमोनियल वेबसाइटों के माध्यम से शादी का झांसा देकर ठगी

सेक्सटॉर्शन से बचाव के संबंध में विशेष जानकारी

कार्यशाला के दौरान बताया गया कि साइबर अपराधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी महिला प्रोफाइल बनाकर मित्रता स्थापित करते हैं तथा बाद में वीडियो कॉल के माध्यम से अश्लील सामग्री दिखाकर स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। इसके बाद पीड़ित को ब्लैकमेल कर धन की मांग की जाती है।

जनसामान्य के लिए महत्वपूर्ण सुझाव

• किसी भी अजनबी व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार न करें।
• अनजान नंबर से आने वाली वीडियो कॉल रिसीव करने से बचें।
• आवश्यक स्थिति में वीडियो कॉल रिसीव करते समय कैमरा ढककर रखें।
• बैंक खाते, ओटीपी, यूपीआई पिन एवं व्यक्तिगत जानकारी किसी से साझा न करें।
• साइबर ठगी होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नम्बर **1930** पर कॉल करें अथवा **www.cybercrime.gov.in** पर शिकायत दर्ज करें।

कार्यशाला के दौरान भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा संचालित साइबर हेल्पलाइन नम्बर **1930** एवं राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के उपयोग की प्रक्रिया भी विस्तार से समझाई गई।

उपस्थित अधिकारी/कर्मचारी

• हे0का0 कल्लू प्रसाद **थाना साइबर क्राइम, आजमगढ़**
• का0 रामाश्रय यादव **थाना साइबर क्राइम, आजमगढ़**
• का0 सभाजीत मौर्य **थाना साइबर क्राइम, आजमगढ़**
• का0 विकास कुमार **थाना साइबर क्राइम, आजमगढ़**
• म0का0 प्रियंका गौड़ **थाना साइबर क्राइम, आजमगढ़**

आजमगढ़ पुलिस साइबर अपराधों की रोकथाम एवं जनजागरूकता के माध्यम से सुरक्षित डिजिटल समाज के निर्माण हेतु सतत प्रयासरत है।

थाना साइबर क्राइम, जनपद आजमगढ़
सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने वाली पोस्ट करने वाला आरोपी गिरफ्तार
फेसबुक पर आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित कर धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में साइबर क्राइम पुलिस की कार्रवाई

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ **डॉ0 अनिल कुमार** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण **श्री चिराग जैन** एवं अपर पुलिस अधीक्षक यातायात/नोडल अधिकारी साइबर क्राइम **श्री पंकज कुमार** के कुशल पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी साइबर क्राइम **श्रीमती आस्था जायसवाल** के मार्गदर्शन में थाना साइबर क्राइम आजमगढ़ की टीम को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक एवं सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने वाली पोस्ट प्रसारित करने के आरोपी को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की गई है।

घटना का विवरण-

दिनांक 16.05.2026 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर एक आईडी से ऐसी आपत्तिजनक पोस्ट साझा की गई, जिससे विभिन्न समुदायों के मध्य धार्मिक वैमनस्य एवं सामाजिक तनाव उत्पन्न होने की संभावना थी। उक्त पोस्ट में धार्मिक एवं सामाजिक भावनाओं को आहत करने वाली आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया गया था, जिससे कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका उत्पन्न हुई।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थाना साइबर क्राइम, आजमगढ़ पर **मु0अ0सं0 19/2026** धारा **196, 299, 353(2) बीएनएस** एवं **67D आईटी एक्ट** के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर जांच प्रारम्भ की गई।

जांच एवं गिरफ्तारी-

तकनीकी साक्ष्यों एवं सोशल मीडिया विश्लेषण के दौरान संबंधित फेसबुक आईडी का संचालन **अरशद जमाल पुत्र स्व0 रईश अहमद निवासी फरिहा, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़** द्वारा किया जाना प्रकाश में आया। उपलब्ध डिजिटल साक्ष्यों एवं पूछताछ के आधार पर अभियुक्त की संलिप्तता पाए जाने पर उसे गिरफ्तार कर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की गई।

अपराध का तरीका-

अभियुक्त द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग कर ऐसी सामग्री प्रसारित की गई, जिससे विभिन्न समुदायों के मध्य वैमनस्य, सामाजिक तनाव एवं धार्मिक भावनाओं को आहत करने की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी। साइबर क्राइम पुलिस द्वारा मामले की जांच कर संबंधित धाराओं में आवश्यक कार्रवाई की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. अरशद जमाल पुत्र स्व0 रईश अहमद, निवासी – फरिहा, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़।

बरामदगी-

- 01 अदद मोबाइल फोन

गिरफ्तारी/कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

- प्रभारी निरीक्षक राजकुमार सिंह, थाना साइबर क्राइम
- उ0नि0 रजत सिंह, थाना साइबर क्राइम
- का0 संजय कुमार, थाना साइबर क्राइम
- का0 सभाजीत मौर्य, थाना साइबर क्राइम
- का0 एजाज खान, थाना साइबर क्राइम
- का0 महिपाल यादव, थाना साइबर क्राइम

आजमगढ़ पुलिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भ्रामक, आपत्तिजनक एवं सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली सामग्री प्रसारित करने वालों के विरुद्ध सतत निगरानी रखते हुए कठोर वैधानिक कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है।

परिवार परामर्श प्रकोष्ठ/नई किरण, जनपद आजमगढ़
'नई किरण' प्रोजेक्ट से बिखरते रिश्तों को मिला सहारा, 04 परिवारों में हुआ सफल समझौता

परिवार परामर्श प्रकोष्ठ की सकारात्मक पहल, संवाद और समझाइश से सुलझे पारिवारिक विवाद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक यातायात/नोडल अधिकारी महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन के पर्यवेक्षण में दिनांक 03.06.2026 को थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ परिसर स्थित **परिवार परामर्श प्रकोष्ठ/नई किरण** की बैठक आयोजित की गई।

बैठक में कुल 05 पत्रावलियों में दोनों पक्षों को फोन एवं नोटिस के माध्यम से सूचित कर मध्यस्थता (मिडिएशन) हेतु बुलाया गया था, जिनमें से 04 पत्रावलियों में दोनों पक्ष उपस्थित हुए। काउंसलिंग एवं अथक प्रयासों के उपरांत सभी 04 प्रकरणों में पक्षकारों को समझा-बुझाकर आपसी मतभेद दूर कर समझौता कराया गया।

मध्यस्थता के दौरान प्राप्त प्रकरणों में दहेज प्रताड़ना, पारिवारिक विवाद, मारपीट, घरेलू कलह एवं वैवाहिक मतभेद से संबंधित शिकायतों पर दोनों पक्षों की बात सुनते हुए उन्हें आपसी संवाद, सहनशीलता एवं पारिवारिक मूल्यों के महत्व से अवगत कराया गया। सकारात्मक वातावरण में हुई काउंसलिंग के फलस्वरूप परिवारों में पुनः सामंजस्य स्थापित हुआ।

शेष पत्रावली में दोनों पक्षों को आगामी तिथि पर उपस्थित होने हेतु नोटिस/फोन के माध्यम से सूचित कर पुनः मिडिएशन की कार्यवाही की जाएगी।

'नई किरण' प्रोजेक्ट का उद्देश्य पारिवारिक विघटन को रोकना, बिखरते रिश्तों को जोड़ना तथा परिवारों में आपसी सामंजस्य स्थापित करना है। यह पहल न केवल परिवारों को नई दिशा प्रदान कर रही है, बल्कि पारिवारिक न्यायालयों पर बढ़ते कार्यभार को कम करने में भी सहायक सिद्ध हो रही है।

कुल समझौते-

04

उपस्थित अधिकारी/कर्मचारी-

- उ0नि0 महेन्द्र प्रसाद तिवारी, प्रभारी परिवार परामर्श प्रकोष्ठ
- आरक्षी सुनील कुमार गुप्ता
- महिला आरक्षी नेहा सिंह

आजमगढ़ पुलिस का 'नई किरण' प्रोजेक्ट बिखरते परिवारों को जोड़ने और सामाजिक सौहार्द को सुदृढ़ करने की दिशा में एक प्रभावी एवं मानवीय पहल है।